

# समाहरणालय, कटिहार।

## (जिला पंचायत राज कार्यालय)

-:: नियोजन पत्र ::-

लेखापाल-सह-आई०टी० सहायक

प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-4046/पं०रा० दिनांक 25.07.2018, पत्रांक 16(गो०)/पं०रा० दिनांक 30.03.2020 एवं 2144/पं०रा० दिनांक 31.03.2021 के आलोक में मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण एवं पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु संविदा आधारित लेखापाल-सह-आई०टी० सहायक के पद पर नियोजन हेतु दिनांक 06.04.2021 को सम्पन्न जिला स्तरीय चयन समिति, कटिहार की बैठक में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के आलोक में रिक्त पदों के विरुद्ध द्वितीय चयन सूची का प्रकाशन इस कार्यालय के पत्रांक 471/पं०, दिनांक 06.04.2021 द्वारा कटिहार जिला के वेबसाईट पर किया जा चुका है।

प्रथम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र का सत्यापन प्राप्त नहीं होने के कारण उन्हें नियोजन पत्र नहीं दिया गया था। उक्त अभ्यर्थियों में से पटना क्रमांक 254-आभा कुमारी ठाकुर का प्रमाण पत्र का सत्यापन प्राप्त हो गया है।

तदालोक में निम्नांकित चयनित लेखापाल-सह-आई०टी० सहायकों को दिनांक 31.03.2022 तक के लिए संविदा के आधार पर शर्त नियोजन किया जाता है।

Sl. No.	Patna No.	Total Points	Application ID	Applicant Name	Father's Name	Remark
1	2	3	4	5	6	7
1	254	74.15	AIT/0089256	ABHA KUMARI THAKUR	BUTAN THAKUR	प्रथम सूची में चयनित है। प्रमाण पत्र सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है।
2	29	93.12	AIT/0039021	ABHISHEK KUMAR SINGH	ARUN KUMAR SINGH	रिक्त पद के विरुद्ध।
3	52	90.78	AIT/0102910	NIKHIL KUMAR	RAJANAND YADAV	रिक्त पद के विरुद्ध।
4	39	92.25	AIT/0055304	MITHUN KUMAR SAH	GOPAL SAH	रिक्त पद के विरुद्ध।
5	64	89.62	AIT/0022765	MD ABU FAYAQUE	MD SADIQUE	रिक्त पद के विरुद्ध।
6	257	74	AIT/0048167	SANDHYA KUMARI	YAMUNA PRASAD GUPTA	रिक्त पद के विरुद्ध।
7	478	67.12	AIT/0048392	NITU KUMARI	ASHOK RAM	रिक्त पद के विरुद्ध।

शर्तें-


- नियोजित लेखापाल-सह-आई०टी० सहायक को सभी शैक्षणिक, आवासीय एवं जाति (आरक्षित वर्ग) का मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी स्व-अभिप्रमाणित प्रति, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं 100/- (एक सौ रुपये मात्र) के नन जुडिसियल स्टाम्प पर एकरारनामा के साथ दिनांक 17/04/2021 तक जिला पंचायत राज कार्यालय, कटिहार में अपना योगदान समर्पित करना होगा। उक्त तिथि के पश्चात् योगदान स्वीकार नहीं किया जायगा।
- चयनित लेखापाल-सह-आई०टी० सहायकों के नियोजन के पश्चात् उनके द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों की संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय (UGC से मान्यता प्राप्त संस्थान) से पुनः जांच करायी जायगी। जाँचोपरांत मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
- यह नियोजन दिनांक 31, मार्च 2022 तक मान्य होगा।
- चयनित लेखापाल-सह-आई०टी० सहायकों को 3 माह में कम्प्यूटर दक्षता प्राप्त करनी होगी।

5. संविदा शर्तों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
6. प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर नियोजित लेखापाल-सह-आई०टी० सहायक को हटाने का अधिकार जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार को होगा।
7. जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार के आदेश के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, कटिहार से अपील की जा सकेगी। जिला पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
8. पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना के संकल्प संख्या 4046/पं०रा० दिनांक 25.07.2018 द्वारा निर्धारित मानदेय रू० 20,000/- (मो० बीस हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह अनुमान्य होगा, जिसमें समय-समय पर वित्त विभाग की सहमति से वृद्धि की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त कोई भी राशि देय नहीं होगी।
9. नियोजित लेखापाल-सह-आई०टी० सहायक को निर्धारित मासिक मानदेय का भुगतान पदस्थापित कार्यालय से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार द्वारा किया जायेगा।
10. मानदेय के आधार पर चयनित होने के कारण नियोजित लेखापाल-सह-आई०टी० सहायक न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य सुविधा के हकदार होंगे।
11. मानदेय के आधार पर चयनित होने के कारण इन्हें सरकारी सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
12. आवंटित पंचायतों में से किसी एक पंचायत में आवासन अनिवार्य होगा।
13. मानदेय आधारित चयनित कर्मियों के चयन की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि अवधि विस्तार नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जायगा और इसके लिए कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
14. योगदान हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

**लेखापाल-सह-आई०टी० सहायक का निम्नांकित दायित्व होंगे-**

- (i) सम्बद्ध ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत वार्ड प्रबंधन एवं कार्यान्वयन समिति के लेखों का संधारण सुनिश्चित कराना।
- (ii) अभिलेखों का विधि सम्मत संधारण सुनिश्चित कराना।
- (iii) ग्राम पंचायत तथा वार्ड कार्यान्वयन एवं प्रबंधन समिति के स्तर पर रोकड़ बही का संधारण कराना।
- (iv) ग्राम पंचायत तथा वार्ड कार्यान्वयन एवं प्रबंधन समिति के बैंक खातों का बैंक समाधान विवरणी तैयार कराना।
- (v) अंकेक्षण सम्पन्न कराना।
- (vi) सभी पंचायतों का लेखा प्रबंधन सुनिश्चित कराना।
- (vii) e-Panchayat का प्रबंधन एवं लेखों का संधारण सुनिश्चित कराना।
- (viii) जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले अन्य आवंटित कार्यों को सम्पन्न कराना।
- (ix) समय-समय पर पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अक्षरबः अनुपालन करना।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

  
जिला पदाधिकारी,  
कटिहार।

ज्ञापांक (3-9/अ) 483 /पं०, कटिहार, दिनांक 07 /04 /2021 ई०।

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

Appointment letter ac



- प्रतिलिपि- सभी वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सचिव, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- सभी ग्राम पंचायत के मुखिया/सभी ग्राम पंचायत सचिव, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार जिला को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि- जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी कटिहार को सूचनार्थ एवं कटिहार जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- जिला स्तरीय चयन समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि- उप विकास आयुक्त, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पदाधिकारी,  
कटिहार।

समझ,

लेख्य प्रमाणक (नोटरी)  
कटिहार।

विषय:- एकरारनामा।

एतद् द्वारा प्रथम पक्ष के समझ द्वितीय पक्ष के रूप में मैं श्री/श्रीमति/शुश्री  
पिता \_\_\_\_\_ माता \_\_\_\_\_

पौ० \_\_\_\_\_ थाना \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ आज दिनांक \_\_\_\_\_

के पूर्वाहन/अपराहन में जिला पंचायत राज कार्यालय, कटिहार में सुविधा आधारित  
लेखापाल-सह-आई०टी० सहायक के पद पर योगदान करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर  
शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि-

1. मेरे द्वारा समर्पित सभी प्रमाण पत्र सही है तथा भविष्य में यदि जाँचोपरांत कोई प्रमाण पत्र फर्जी या गलत पाया जाता है तो मेरा नियोजन रद्द करते हुए मेरे विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी जा सकेगी।
2. पंचायती राज विभाग के संकल्प संख्या 4046/प०रा०, पटना, बिहार दिनांक 25.07.2018 एवं पत्रांक 2144/प०रा० दिनांक 31.03.2021 के आलोक में मेरा नियोजन अस्थायी रूप से योगदान की तिथि से 31 मार्च, 2022 तक के लिए होगी एवं आवश्यकता होने पर अवधि का विस्तार किया जा सकेगा। 31 मार्च, 2022 की अवधि समाप्त होने के पूर्व यदि अवधि विस्तार नहीं किया जाता है तो यह नियोजन 31 मार्च, 2022 के बाद की तिथि से स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसके लिए अलग से आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
3. पंचायती राज विभाग के संकल्प संख्या 4046/प०रा० पटना, दिनांक 25.07.2018 के आलोक में मी० 20,000.00 (मी० बीस हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह नियत मानदेय का भुगतान संबंधित कार्यालय द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मुझे कोई भी राशि देय नहीं होगा।
4. मानदेय के आधार पर नियोजित लेखापाल-सह-आई०टी० सहायक सरकारी सेवक नहीं है। अतः मैं सरकारी सेवक हेतु अनुमान्य किसी भी सुविधा, नियमितकरण या अन्य टाटा नहीं करूँगा/करूँगी।
5. मैं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार एवं संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा सौंपे गये कार्यों एवं निर्देशों का ससमय दृढ़ता पूर्वक निष्पादन करूँगा/करूँगी।
6. नियोजन के पश्चात् एकरारनामा की सभी शर्तें एवं नियोजन पत्र में अंकित शर्तें अनुमान्य होगी।
7. मैं समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करूँगा/करूँगी।
8. अपने विवाह के अवसर पर दहेज का लेन-देन नहीं किया हूँ/नहीं की हूँ/नहीं करूँगा/नहीं करूँगी।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं ..... (रोल आई०डी० क्रमांक ..... )  
ग्राम- ..... थाना ..... जिला .....  
दिनांक ..... एकरार करता हूँ कि उपरोक्त वर्णित शर्तों को समझ लिया एवं  
सहमत हूँ।

पहचानकर्ता का हस्ताक्षर

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

अधिवक्ता, कटिहार।

  
जिला पदाधिकारी  
कटिहार